

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 51/2019-20

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
10.7.19	आवेदक/आवेदिका डोलो पूरती, पिता- स्व० पौधा पूरती, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- पोटका (सोका साई), पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा- पोटका, थाना नं०-69, खाता नं०- 210, प्लॉट नं०- 631, रकवा- 0.06 ए०, क्रेता अजम्बर सामाड, पिता- स्व० गंगा राम सामाड, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- कुरुनलिता, पो०- हेसेलकुटी, थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr><tr><td>पोटका</td><td>69</td><td>चक्रधरपुर</td><td>210</td><td>631</td><td>0.06 ए०</td></tr></table> आवेदक को ईलाज एवं घर की मरम्मत हेतु 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.06 ए० को कुल कीमत 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 25.7.19 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 25.7.19 को उपस्थापित करें।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में	पोटका	69	चक्रधरपुर	210	631	0.06 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में									
पोटका	69	चक्रधरपुर	210	631	0.06 ए०									

10.7.19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

Signature
10.7.19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।